

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:- संस्था/चिआ/एटी/प01/11/37 दिनांक :- 13/04/2011

—: आदेश :—

निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निदेशालय के सगसंख्यक आदेश क्रमांक 12 दिनांक 14.03.11 के द्वारा चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति कि शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक से एक गाह के भीतर—2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित चिकित्सकों ने उनके नाम के साथने अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि गें अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया है :—

क्र. रां.	चिकित्सक का नाम	मेरिट संख्या	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि की दिनांक
1.	डा० सारिका अग्रवाल	136	प्रा०स्वा०केन्द्र बीनादेसर (चुरू)	सास—सरुर की बीमारी के कारण	06 माह
2.	डा० हिमांशु महला	525	प्रा०स्वा०केन्द्र चोकडी (सीकर)	सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत होने के कारण	16/08/11
3.	डा० मोती लाल बुनकर	666	प्रा०स्वा०केन्द्र अरनोदा (चित्तौड़गढ़)	पीजी के कारण	02 साल
4.	डा० वरुण सैनी	778	प्रा०स्वा०केन्द्र मंगलूरा (सीकर)	पीजी के कारण	मई 2012
5.	डा० मनीषा	1105	प्रा०स्वा०केन्द्र भिठडाउ (बाडमेर)	पदस्थापन में संशोधन बाबत	06 माह

उपरोक्त चिकित्सकों को वांछित अवधि तक कार्यग्रहण करने हेतु अभिवृद्धि दिया जाना साध्य ही नहीं है। अतः उक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20.04.11 तक नवनियुक्त रथान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करले अन्यथा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त / नाम नियुक्ति आदेश से विलोपित हो जायेंगे।

यह आदेश सक्षम रूप से अनुमोदनार्थ पश्चात् जारी किये जाते हैं।

—८०—

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि रायिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग (गुप्त—2) राजस्थान जयपुर।
4. सगस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
8. निजि / आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर।